न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–श्रीमती मूलीदेवी उर्फ रेखा पुत्री स्व0 पुखराज पत्नी प्रकाश जाति मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती, ग्राम बोरानाडा, तहसील लूनी जिला जोधपुर 2–छोटादेवी पुत्री स्व0 पुखराज पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर 3–धन्नादेवी पुत्री स्व0 पुखराज पत्नी दिनेश जाति मेघवाल निवासी बासनी सिलावटा बोरानाडा तहसील लूनी, जिला जोधपुर 4–अचुकीदेवी पुत्री स्व0 पुखराज पत्नी पपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम जाति मेघवाल निवासी 500/20 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर 2–तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–10–2017 जो तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा अपंजीकृत वसीयत प्रकरण संख्या 24/2017 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री एस.एल.सांखला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री मालमसिह, महिपालसिह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चोखा तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 712 रकबा 8.13 बीघा भूमि पुखराज पुत्र सीमाराम, खुमाराम पुत्र सीमाराम जाति मेगवाल सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त भूमि के संबंध मे एक अपंजीबद्ध वसीयतनामा खातेदार पुखराज पुत्र सीमाराम ने अपने जीवनकाल मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम जाति मेघवाल के पक्ष मे दिनांक 12–1–2009 को निष्पादित किया । खातेदार पुखराज पुत्र सीमाराम का देहांत दिनांक 18–12–2012 को हो जाने के पश्चात वसीयतग्रहिता गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम ने दिनांक 28–7–2017 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत करवाने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी चोखा से विस्तृत रिपोर्ट

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्राप्त की तथा आम सूचना जारी कर वसीयत के गवाहो तथा वसीयतकर्ता के वारिसानो को तलब कर उनके शपथपत्र आदि लेने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–10–2017 को पारित किया जिसमे माफिक वसीयतनामा स्व0 पुखराज के 1/2 हिस्से की भूमि का नामांतरकरण वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल के पक्ष मे दर्ज करने का आदेश पारित किया । जिसके विरूद्व वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपीलांटगण जो कि मृतक खातेदार पुखराज पुत्र सीमाराम की पुत्रियां है, ने पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम चोखा तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 712 रकबा 8.13 बीघा भूमि पुखराज पुत्र सीमाराम, खुमाराम पुत्र सीमाराम जाति मेगवाल सा0 देह के सहखातेदारी की थी । सहखातेदार पुखराज का देहांत दिनांक 18–12–2012 को हो गया था । उसके देहांत से पहले पुखराज ने दिनांक 12–1–2009 को एक अपंजीकृत वसीयत वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम जाति मेघवाल के पक्ष मे निष्पादित की ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर कार्यालय से जारी एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र मे प्रकाशित एक आम सूचना दिनांक 8–9–2017 के द्वारा अपीलांटगण को जानकारी हुई कि उनके पिता पुखराज जी ने एक वसीयत दिनांक 12–1–2009 को रेस्पो0 गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम मेघवाल के पक्ष मे कर दी है, तो अपीलांटगण तहसीलदार जोधपुर के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत प्रकरण मे मौखिक निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार पुखराज द्वारा वसीयत की गई भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि होने से उक्त भूमि मे अपीलांटगण का भी हक हिस्सा होने से खातेदार पुखराज द्वारा वसीयत की ही नही जा सकती थी इसलिए वसीयत के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत नही किया जाये ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–10–2017 के द्वारा प्रश्नगत वसीयत को स्वीकार करते हुए वसीयत ग्राम चोखा के खसरा नंबर 712 रकबा 8.13 बीघा भूमि मे से स्व0 पुखराज पुत्र सीमाराम के हिस्से की 1/2 भूमि का नामांतरकरण गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार कर अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–10–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि ग्राम चोखा के खसरा नंबर 712 रकबा 8.13 बीघा भूमि के सहखातेदार पुखराज पुत्र सीमाराम का उक्त अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त था तथा पुराना कब्जा के आधार पर उसने उक्त भूमि की खातेदारी

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिलाने बाबत दावा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश किया, जो दावा खारीज हो जाने पर पुखराज ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की उक्त अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 12–11–2008 के द्वारा स्वीकार की गई तथा पुखराज पुत्र सीमाराम को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये । राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–11–2008 के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील पेश की जिसे माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 13–6–2011 के द्वारा उक्त अपील को खारीज कर दिया जाने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध एक रिट पीटीशन संख्या 3402/2012 प्रस्तुत हुई उक्त रिट याचिका भी दिनांक 13–4–2012 को खारीज हो जाने पर उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ के समक्ष अपील पेश की जिसे भी दिनांक 24–11–2016 के जरिये खारीज कर दिया गया । वकील रेस्पो0 ने उक्त तमाम तथ्यो को प्रकट करते हुए कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 12–11–2008 यथावत रहा जिसके द्वारा पुखराज को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा राजस्व रेकर्ड मे उक्त खसरा नंबर 712 रकबा 8.13 बीघा की भूमि पुखराज पुत्र सीमाराम, खुमाराम पुत्र सीमाराम जाति मेगवाल सा0 देह के खातेदारी मे दर्ज हुई ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि खातेदार पुखराज पुत्र सीमाराम ने अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे अपने जीवनकाल मे एक वसीयतनाम वर्तमान रेस्पो0 सख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र भींयाराम जाति मेगवाल निवासी चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर मे पक्ष मे दिनांक 12–1–2009 को निष्पादित किया था तथा उक्त खातेदार पुखराज का देहांत दिनांक 18–12–2012 को होने के पश्चात उक्त वसीयत प्रभाव मे आने पर रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल ने अपने पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर स्व0 खातेदार पुखराज के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने विधिवत कार्यवाही करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार पुखराज की स्वअर्जित भूमि थी न कि पुश्तैनी इसलिए उक्त भूमि के संबंध मे उसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था तथा यह भी कथन किया कि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नही है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2008 पेज 567 एवं आर.आर.डी. 1988 पेज 23 की निर्णय नजीरे पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय एवं रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का चोखा की रिपोर्ट एवं ग्राम चोखा पटवार मण्डल चोखा तहसील जोधपुर की जमाबंदी संवत् 2058–61 मे उल्लेख अनुसार अपीलाधीन

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नंबर 712 रकबा 8.13 बीघा की भूमि पुखराज पुत्र सीमाराम, खुमाराम पुत्र सीमाराम जाति मेगवाल सा0 देह के खातेदारी मे न्यायालय आदेश की पालना मे दर्ज हुई है अथार्त उक्त भूमि मृतक खातेदार पुखराज की स्वअर्जित कृषि भूमि थी । अपीलांटगण ने ऐसा कोई रेकर्ड या सबूत रेकर्ड पर प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रकट हो कि अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार पुखराज की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी ।

उक्त कृषि भूमि मे से स्व0 खातेदार पुखराज पुत्र सीमाराम द्वारा अपने जीवनकाल मे रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे एक वसीयतनामा दिनांक 12—1—2009 को निष्पादित कर दिया जाने पर उक्त खातेदार पुखराज के देहांत के पश्चात रेस्पो0 सख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र भीयाराम जाति मेघवाल ने उसके खातेदारी भूमि के संबंध मे उसके पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आवेदन पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र मे एक आम सूचना प्रकाशित करवाकर तथा वसीयत पर साख डालने वाले गवाहानो के बयान दर्ज कर तथा अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक पुखराज की पत्नी कमलादेवी, मृतक के पुत्रगण डुंगरराम, वीरमाराम, सोहनराम, प्रकाश आदि की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत कर मृतक पुखराज द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के संबंध मे सहमति एवं स्वीकृति प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23—10—2017 को पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23—10—2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20—9—2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर